रजिस्टर्ड सं. डी-(डी एन)-128/89

REGISTERED No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9, 1989 (अग्रहायण 18, 1911)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9, 1989 (AGRAHAYANA 18, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	799
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1245
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1583
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	—
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	1107
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	1169
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1459
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	175
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाली अनुपूरक .	

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

1—361GI/89

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	799
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1245
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments promotions. Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	393
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1107
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1169
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1459
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	175
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1989

सं० 83—प्रेज/89—राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अब्दुल रशीद,
कान्स्टेबल संख्या 2445/एस,
(अब उप-निरीक्षक),
जिला श्रीनगर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17/18 सितम्बर, 1988 को मध्यरात्रि को, जब श्री अब्दुल रशीद, कान्स्टेबल कश्मीर के उप महानिरीक्षक श्री ए० एम० वातली के निवास पर गार्ड ड्यूटी कर रहे थे तो गेट से घुसकर एक घुसपैठिया उनके पास आया और उससे पूछा कि क्या श्री वातली घर पर हैं, अथवा नहीं, क्योंकि वह उनसे मिलना चाहता था। कान्स्टेबल अब्दुल रशीद ने घुसपैठिए को बताया कि यह समय उपमहानिरीक्षक से मिलने का नहीं है। यह सुनने पर घुसपैठिए ने तत्काल अपनी चद्दर के नीचे छुपाई हुई गन निकाली और कान्स्टेबल की तरफ तान कर उसे "हाथ ऊपर" खड़े करने का हुक्म दिया। कान्स्टेबल अब्दुल रशीद ने यह दिखावा करते हुए कि वह घुसपैठिये का आदेश मान रहा है, उच्चकोटि की सूझबूझ का परिचय दिया और गन की नाल को पकड़ा और उसके साथ भिड़ते हुए, नाल को जमीन की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच एक दूसरे घुसपैठिए ने जो कुछ ऊंचाई पर पहले घुसपैठिए की सहायतार्थ बैठा था, कान्स्टेबल पर गोली चलाई जो कान्स्टेबल की जांघ पर लगी और वह गिर पड़ा। इसके बावजूद उसने घुसपैठिए और गन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और उसी गन की नाल को घुसपैठिए की तरफ मोड़ने की कोशिश की और गोली चलाई जो घुसपैठिए की दाहिनी कलाई पर लगी। इसी बीच इस घुसपैठिए की सहायता के लिए बैठा उसका दूसरा साथी बीच-बीच में गोलियां चलाता गया जिसके परिणामस्वरूप पहले घुसपैठिए की दाहिनी भुजा पर अनेक गोलियां लगी और एक गोली पीठ पर लगी जिसके परिणामस्वरूप वह गम्भीर रूप से जख्मी होकर गिर गया।

गोली की आवाज और कान्स्टेबल अब्दुल रशीद की चिल्लाने की आवाजें सुनकर गार्ड दल के कुछ सदस्य और अर्दली जो कमरे में थे, चौकन्ने हो गए। वे बाहर आए और घुसपैठियों को ललकारा जो गोली चलाते हुए भाग खड़े हुए और अंधेरे में लापता हो गए। जख्मी घुसपैठिए और कान्स्टेबल रशीद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां जख्मी घुसपैठिए की शिनाख्त एजाज अहमद डार के रूप में की गई जो पुलिस रिकार्ड में मुस्लिम यूनाईटेड फ्रंट का एक कुख्यात सक्रिय कार्यकर्ता था। बाद में जख्मी घुसपैठिए की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में श्री अब्दुल रशीद कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 84-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० पी० गौतम,
सहायक कमान्डेन्ट,
24 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 अक्तूबर, 1987 को दिन के लगभग 2/30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार आतंकवादी बलकार सिंह अपने साथियों समेत पुलिस थाना लोपोक के अंतर्गत गांव कोलोवाल में एक फार्म हाऊस में मौजूद हैं और एक स्थानीय अल्पसंख्यक क्षेत्र में बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। श्री आर० पी० गौतम, सहायक कमान्डेन्ट, 24 वी बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बल के अन्य कार्मिकों के साथ दो जीपों में आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर छापा मारने तथा उन्हें पकड़ने के लिए रवाना हुए। रास्ते में श्री गौतम ने वायरलैस द्वारा थाना लोपोक तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चोगावन स्थित चौकी को और पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था करने के लिए सतर्क किया ताकि आतंकवादियों के बचकर भागने के सभी संभव मार्गों को बंद किया जा सके।

हैड कान्स्टेबल इन्दर राज सिंह, 24वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपनी टुकड़ी को ख्याला गांव से होते हुए ले जाने और कोलोवाल गांव से आतंकवादी मेजर सिंह के फार्म हाऊस के पिछवाड़े को घेरने का निदेश दिया गया। लगभग शाम 4 बजे फार्म हाऊस के पिछवाड़े को पूरी तरह घेर लिया गया और इस संबंध में श्री आर० पी० गौतम को पक्की खबर भेज दी गई जो अपने बल समेत वहां पहुंच गए थे और संकेत का इन्तजार कर रहे थे।

श्री गौतम के नेतृत्व वाले छापामार दल के नजदीक पहुंचने पर फार्म हाऊस में कुछ हलचल देखी गई। छापामार दल तेजी से मकान की तरफ गया लेकिन उन्होंने वहां पाया कि आतंकवादी खड़ी फसल में से होकर भागकर निकल गए। श्री गौतम ने घेरा बल को सतर्क किया और अपने आदमियों को एक विस्तृत लाइन बनाने और खड़ी फसल में से आगे बढ़ने का आदेश दिया। छापामार बल के निकट पहुंचने पर आतंकवादियों ने भिन्न-भिन्न दिशाओं में गोलियां चला दी। पुलिस बल ने तुरन्त

स्थिति संभाली और जवाब में गोली चलाई। गोलियां चलाए जाने पर तीन आतंकवादियों में से दो ने अपने स्थान को छोड़ दिया परन्तु तीसरा आतंकवादी गोलियां चलाता रहा। श्री गौतम उसे घेरने की दृष्टि से भारी गोलाबारी के बीच धान की फसल में से अपनी बायीं ओर रेंगकर एक वाटरपम्प हाऊस में पहुंचे। इसी दौरान श्री इन्दर राज सिंह, हैड कान्स्टेबल ने देखा कि सहायक कमाण्डेन्ट अकातैदी के निकट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य दो आतंकवादियों ने उनको बढ़ते हुए देखा और उन पर भारी गोलाबारी की। श्री गौतम को इस खतरनाक स्थिति से निकालने के उद्देश्य से, जो पूरी तरह जख्मी हो गए थे, हैड कान्स्टेबल इन्दर राज सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक पेड़ के पीछे मोर्चा सम्भाल कर दोनों आतंकवादियों को व्यस्त रखा। और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। श्री गौतम आतंकवादी की पिस्तौल में भरी हुई सभी गोलियों के खत्म होने तक रुके रहे। जैसे ही आतंकवादी ने पिस्तौल को दुबारा भरने के लिए मैगजीन निकाली, श्री गौतम बिजली की भांति आतंकवादी की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। इसके बाद उस युवा तथा खतरनाक हत्यारे के साथ उनकी भयानक हाथापाई हुई। इस हाथापाई के दौरान श्री गौतम ने उसके ऊरु मूल (ग्रोइन) में अपने घुटने से वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि आतंकवादी निशस्त्र हो जाता, उसने अचानक अपना सन्तुलन बनाया और श्री गौतम को काबू करने और उनसे हथियार छीनने का जबरदस्त प्रयास किया परन्तु श्री गौतम से तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए अपने स्टैनगन से गोलियों की बौछार कर दी और आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। तथापि, दो अन्य आतंकवादी धान के खेतों में से भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री आर० पी० गौतम, सहायक कमांडैन्ट, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 अक्तूबर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 85-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री इन्दर राज सिंह,
हैड कान्स्टेबल संख्या 600100154,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 अक्तूबर, 1987 को दिन के लगभग 2.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार आतंकवादी बलकार सिंह अपने साथियों समेत पुलिस थाना लोपोक के अन्तर्गत गांव कोलोवाल में एक फार्म हाऊस में मौजूद है और एक स्थानीय अल्पसंख्यक क्षेत्र में बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। श्री आर० पी० गौतम, सहायक कमान्डेन्ट, 24वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बल के अन्य कार्मिकों के साथ दो जीपों में आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर छापा मारा तथा उन्हें पकड़ने के लिए रवाना हुए। रास्ते में श्री गौतम ने वायरलेस द्वारा थाना लोपोक तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकीवान स्थित चौकी को और पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था करने के लिए सतर्क किया ताकि आतंकवादियों के बचकर भागने के सभी संभव मार्गों को बंद किया जा सके।

हैड कांस्टेबल इन्दर राज सिंह, 24वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपनी टुकड़ी को ख्याला गांव से होते हुए ले जाने और कोलोवाल गांव में आतंकवादी मेजर सिंह के फार्म हाऊस के पिछवाड़े को घेरने का निर्देश दिया गया। शाम के लगभग 4 बजे फार्म हाऊस के पिछवाड़े को पूरी तरह घेर लिया गया और इस संबंध में श्री आर० पी० गौतम को पक्की खबर भेज दी गई जो अपने बल समेत वहां पहुंच गए थे और संकेत का इन्तजार कर रहे थे।

श्री गौतम के नेतृत्व वाले छापामार बल के नजदीक पहुंचने पर फार्म हाऊस में कुछ हलचल देखी गई। छापामार बल तेजी से मकान की तरफ गया लेकिन उन्होंने वहां पाया कि आतंकवादी खड़ी फसल में से हो कर भागकर निकल गए। श्री गौतम ने घेरा दल को सतर्क किया और अपने आदमियों को एक विस्तृत लाइन बनाने और खड़ी फसल में से आगे बढ़ने का आदेश दिया। छापामार दल के निकट पहुंचने पर आतंकवादियों ने तीन भिन्न-भिन्न दिशाओं में गोलियां चला दी। पुलिस दल ने तुरन्त स्थिति संभाली और जवाब में गोली चलाई। गोलियां चलाए जाने पर तीन आतंकवादियों में से दो ने अपने स्थान को छोड़ दिया परन्तु तीसरा आतंकवादी गोलियां चलाता रहा। श्री गौतम उसे घेरने की दृष्टि से भारी गोलीबारी के बीच धान की फसल में से अपनी बायीं ओर रेंगकर एक वाटरपम्प हाऊस में पहुंचे। इसी दौरान श्री इन्दर राज सिंह हैड कान्स्टेबल ने देखा कि सहायक कमाण्डेन्ट आतंकवादी के निकट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य दो आतंकवादियों ने उनको बढ़ते हुए देखा और उन पर भारी गोलाबारी की। श्री गौतम को इस खतरनाक स्थिति से निकालने के उद्देश्य से, जो पूरी तरह जख्मी हो गए थे, हैड कान्स्टेबल इन्दर राज सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक पेड़ के पीछे मोर्चा सम्भाल कर दोनों आतंकवादियों को व्यस्त रखा और पीछे हटने पर मजबूर किया। ऐसा करके उन्होंने श्री गौतम की जान ही नहीं बचायी बल्कि उन्हें खूंखार आतंकवादी के नजदीक पहुंचने और उसे मार गिराने में उनकी सहायता की। तथापि, दो अन्य आतंकवादी धान के खेतों में से भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री इन्दर राज सिंह, हैड कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 अक्तूबर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 86-प्रेज/89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० जी० पाथर, (मरणोपरान्त)
हैड कान्स्टेबल सं० 680291233,
44वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री के० हजारिका,
कान्स्टेबल संख्या 821152128,
44वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 जून, 1988 को रात्रि के करीब 11.25 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 44वीं बटालियन की ग्राम थाण्डे में तैनात एक टुकड़ी पर तीन दिशाओं से भारी आक्रमण हुआ। चौकी से करीब 150 गज की दूरी पर एक मकान की छत के ऊपर स्थान से 6-9 आतंकवादियों ने राकेटों से हमला किया। इनमें से एक राकेट कमरे के रोशनदान को

भेदता हुआ अन्दर वाली सामने की दीवार से टकरा कर फट गया। जिससे छत पर में उपस्थित सभी लोग घायल हो गए। राकेटों के बाद स्वचालित हथियारों से हमला किया गया। राकेट के छर्रों से हैड कान्स्टेबल श्री ए० जी० पाथर बुरी तरह घायल हो गए परन्तु घावों और निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना वे क्रियाशील हुए और अपने जवानों को जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने कुमुक हेतु अपने कम्पनी मुख्यालय को भी सूचित किया तथा स्वयं स्थिति संभाल कर आतंकवादियों पर गोली चलायी। वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और घायल होने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।

संतरी की ड्यूटी पर तैनात कान्स्टेबल के० हजारिका ने गोली चलाते हुए, आतंकवादियों को रोके रखा किन्तु राकेट से निकले छर्रों से उनके सिर में गहरा घाव हो गया। वे इससे विचलित नहीं हुए और वे आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे। उनके द्वारा की गई निरन्तर और कारगर गोलीबारी से आतंकवादी हताश हो गए और अन्तत. भागने पर मजबूर हो गए। आतंकवादियों ने दो प्रयोजनों के साथ हमले की योजना बनायी थी उनमें से एक बड़े ध्यानपूर्वक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी को वहां से हटा कर उनके हथियारों को कब्जे में लेना और दूसरा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का संरक्षण प्राप्त सुखदेव सिंह के परिवार की हत्या करना। कान्स्टेबल हजारिका, जो बुरी तरह घायल हो गए थे, अपनी सन्तरी चौकी के निकट बेहोश होकर गिर गए, कुमुक दल द्वारा उन्हें अमृतसर के एम० जी० आई० बी० अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें विशेष विमान द्वारा पी० जी० आई० अस्पताल, चण्डीगढ़ ले जाया गया, जहां उनका आप्रेशन करके उनके मस्तिष्क से चार छर्रे निकाले गए।

इस मुठभेड़ में श्री ए० जी० पाथर, हैड कान्स्टेबल और श्री के० हजारिका, कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 87-प्रेज/89—राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान कर करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम कुमार,
पुलिस उप-अधीक्षक,
उग्रवादी विरोधी सैल,
सी० आई० डी०,
जिला हिसार।

श्री राजपाल सिंह,
पुलिस निरीक्षक (अब पुलिस उप-अधीक्षक)
सी०आई०ए०,
जिला हिसार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

9 नवम्बर, 1987 को सूचना मिली कि अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों से लैस सशस्त्र आतंकवादियों का एक दल बाजीगर बस्ती, मोगा, जिला फरीदकोट, पंजाब में छिपा हुआ है। छिपने के स्थान पर छापा मारने के लिए 52 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों सहित श्री राम कुमार, पुलिस अधीक्षक और श्री राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक (अब पुलिस उप-अधीक्षक) 10 नवम्बर, 1987 को मोगा पहुंचे। मोगा पहुंचने पर उन्हें सूचना मिली कि आतंकवादी अगली सुबह लगभग 4 बजे अपने छिपने के स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान को रवाना हो जायेंगे। सर्वश्री राम कुमार और राजपाल सिंह ने छिपने के स्थान पर अर्द्ध-रात्रि को छापा मारने का निश्चय किया ताकि आतंकवादी बचकर न भाग सकें। तथापि, मोगा की स्थानीय पुलिस ने छापामार दल को सचेत करते हुए यह बता दिया था कि रात के अंधेरे में छापा मारने से वे अवश्य ही खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह आतंकवादी-ग्रस्त क्षेत्र है। श्री राजकुमार के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने 14 फुट ऊंची दीवार पार की और प्रांगण में मोर्चा संभाला, जब कि निरीक्षक राजपाल सिंह वाले दूसरे दल ने छिपने के स्थान के मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। दोनों दलों ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया और अन्ततः अमृतसर जिले के तरन-तारन के हरसरन सिंह नामक एक आतंकवादी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उस आतंकवादी ने बताया कि उसके दो साथी चुराई गई एक जीप में भाग गए है। दोनों अधिकारियों ने तत्काल आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया।

तीन घन्टे तक पीछा करने के बाद अन्ततः सर्वश्री राम कुमार और राजपाल सिंह खूंखार आतंकवादियों के आमने-सामने आ पहुंचे। दोनों अधिकारी अपने वाहनों से कूद पड़े और आतंकवादियों से भिड़ गए तथा उन्हें पकड़ लिया। बाद में आतंकवादियों की तरन-तारन के बहादुर सिंह और राजिन्द्र सिंह के नाम से पहचान की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे केवल दरयापुर के 36 बस यात्रियों की हत्या-काण्ड के मामले में ही अन्तर्ग्रस्त नहीं बल्कि हत्या और डकैती के अन्य मामलों में भी अन्तर्ग्रस्त हैं।

इस मुठभेड़ में श्री राम कुमार, उप-पुलिस अधीक्षक तथा श्री राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक (अब पुलिस उप-अधीक्षक), ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 नवम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 88-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री किशन चन्द,
सहायक कमांडेण्ट,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अजनाला।

श्री शम्भु प्रसाद,
कांस्टेबल सं० 851290217,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अजनाला।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29 जून, 1988 को दिन के लगभग 1.45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हथियारों लैस उग्रवादी सुखविन्दर सिंह को उसके साथी सहित गांव दयाल भारंग में घूमते हुए देखा गया है। श्री किशन चन्द, सहायक कमांडेण्ट, 24वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने गांव को घेरने की योजना बनाई और वे छिपने के संदेहास्पद स्थानों की खोजबीन करने चले गए। पुलिस दल जब दाल की फसल के खेतों के पास पहुंचा तो उन पर आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की। उन्होंने तुरन्त फसल की आड़ ली जिससे जानहानि होने से बची। इसके बाद लगभग पांच मिनट तक गोलीबारी होती रही और आतंकवादी पीछे हटने लगे। भागने के प्रयास को विफल करने के लिए, श्री किशनचन्द और कांस्टेबल शम्भु प्रसाद ने अपना मोर्चा छोड़ा और उन्हें घेरे में लेने के लिए बिना उन्हें पता लगे तेजी से आगे बढ़े। वे फसल में से पीछे हटते हुए आतंक-

वादियों से आगे निकल गए और उन्होंने एक प्राकृतिक आड़ के पीछे मोर्चा लिया तथा आतंकवादियों के आने का इन्तजार करने लगे। जब वे लेटकर उनका इन्तजार कर रहे थे तो उन्होंने दो आतंकवादियों को धान की फसल से बाहर निकलते हुए देखा। इससे पहले कि श्री किशन चन्द उन्हें आत्म समर्पण करने के लिए चेतावनी देते, आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चला दीं। सर्वश्री किशन चन्द और शम्भु प्रसाद ने झुककर आड़ ली और अपने आप को बचाया। इससे पहले कि आतंकवादी दुबारा गोली चलाते श्री किशन चन्द और कांस्टेबल शम्भु प्रसाद ने अपने हथियारों से तेजी से इकट्ठे गोलियां चलाई और दोनों आतंकवादियों को घटना स्थल पर ही मार गिराया। मृत आतंकवादियों की बाद में शिनाख्त होने पर पता चला कि वे सुखविन्दर सिंह और हरजीत सिंह थे, जिनकी पुलिस को कई अधन्य अपराधों के मामलों में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री किशन चन्द, सहायक कमांडेन्ट और श्री शम्भु प्रसाद, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 जून, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 89-प्रेज/89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री के० डी० यादव,
पुलिस उप-निरीक्षक,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

श्री लक्ष्मण सिंह,
कांस्टेबल संख्या 740240365,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 अक्तूबर, 1987 को सायं लगभग 5 बजे, सहायक कमांडेंट (आपरेशन) तथा पुलिस उप-अधीक्षक, अजनाला, राजा सांसी में रामलीला की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करने जा रहे थे। उनके पास यह सूचना थी कि आतंकवादी रामलीला जलूस पर एक बड़ा आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। रास्ते में उन्हें दो व्यक्तियों से यह सूचना दी कि आटोरिक्शा में जाते हुए तीन पुलिस जवानों को ग्राम सुलानांगल के निकट धान के खेत में आतंकवादियों ने मार डाला है। दोनों अधिकारी घटना स्थल की ओर गए और पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि आक्रमणकारी नहर के साथ होते हुए ग्राम कोहाली की ओर चले गए हैं। उन्होंने ग्राम सुलानांगल से ग्राम कोहाली और ख्याला की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर नाकाबंदी के लिए सभी पुलिस चौकियों को सचेत कर दिया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वीं बटालियन की चैनपुरा चौकी के उप-निरीक्षक श्री के० डी० यादव, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह तथा चार अन्य कार्मिकों सहित नाकाबंदी करने लिए के ग्राम कोहाली की ओर चल दिए। राह में एक ग्रामवासी ने उन्हें बताया कि उसने पांच सशस्त्र आतंकवादियों को लाहौर नहर के साथ-साथ कोहाली ग्राम की ओर जाते देखा है। श्री यादव ने आतंकवादियों का पीछा करने के बजाय लाहौर नहर के पुल से 500 मीटर की दूरी पर नाकाबंदी करने का निर्णय लिया और आतंकवादियों के आने की प्रतीक्षा की।

सायं 6 बजे के करीब उन्होंने वहां पांच आतंकवादियों को लाहौर नहर के साथ-साथ कोहाली ग्राम की तरफ से आते देखा। श्री यादव ने तुरन्त अपने साथियों को पोजीशन लेने को कहा और साथ ही आतंकवादियों को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इस पर, आतंकवादियों ने शाल में छिपाये हुए अपने-अपने शस्त्रों को निकाल लिया और पुलिस दल पर गोलियां चला दीं। इसके उपरान्त काफी भीषण गोला-बारी हुई जो कि लगभग आधे घंटे तक चली। उनमें से एक आतंकवादी बाईं ओर को गया और ए० के० 47 चीनी एसाल्ट राईफल से लेज गोलाबारी करके पुलिस को अपने निकट नहीं आने दे रहा था। आतंकवादी द्वारा पैदा की गई इस कड़ी रुकावट को दूर करने की दृष्टि से श्री यादव ने कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह को आदेश दिया कि वह अपनी बाईं ओर जाए और उस आतंकवादी का ध्यान उस ओर आकर्षित कर उसे व्यस्त रखे जिससे वे स्वयं आतंकवादी के करीब जा कर और घातक वार कर सकें। जैसे ही कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह अपनी बाईं ओर बढ़े, आतंकवादी ने उन पर भीषण गोलाबारी की। इससे अविचलित होकर तथा अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे तब तक रेंगते रहे जब तक कि उस उपर्युक्त स्थान पर नहीं पहुंच गए, जहां से वे प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करके आतंकवादी को व्यस्त रख सकें। नये स्थान से गोली चलाए जाने से आतंकवादी का ध्यान बंट गया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री यादव, खड़ी फसल के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़े। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि वे अब आतंकवादी पर ठीक निशाना लगा सकते हैं तो उन्होंने अपने पिस्तौल से जल्दी-जल्दी चार गोलियां चला कर आतंकवादी को घटना स्थल पर ही मार डाला। मृत आतंकवादी की बाद में चमियारी गांव के सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा पण्डित के रूप में पहचान की गई, जो बहुत से बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तथापि, शेष चार आतंकवादी खड़ी फसल तथा बड़ी-बड़ी घास की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री के० डी० यादव, पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अक्तूबर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 90-प्रेज/89—राष्ट्रपति नागालैंड पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एच० के० सेमा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
डी० ई० एफ०,
दीमापुर।

श्री हस्तो सेमा, (मरणोपरान्त)
हवलदार, प्रथम बटालियन,
एन० ए० पी०,
चुमूकी दीमा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना प्राप्त हुई कि एन०एस०सी०एन० के कुछ यू० जी० गड़बड़ी फैलाने के लिए शहर में उपस्थित हैं। यह बताया गया कि यू० जी० जीप संख्या एन०एल०के०—1460 का प्रयोग कर रहे हैं। अतः खोजी दस्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर उस वाहन की खोज कर रहा था लेकिन वाहन का पता नहीं लग सका।

22 फरवरी, 1985 को खोजी दस्ते को पुनः संगठित किया गया और उन्होंने दीमापुर शहर के विभिन्न स्थानों पर गहन खोजबीन की। वाहन, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, का पता प्लाजा के नजदीक पुलिस प्वाईन्ट पर लगा और उन्हें आगे पूछताछ करने के लिए वाहन के साथ पुलिस थाने ले जाया गया। पूछताछ करने पर यह पता लगा कि कुछ यू०जी० तत्व दीमापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर लोटोवी गांव में छिपे हुए हैं।

सर्वश्री नब्बो लोथा और एस०एस० अहलूवालिया, पुलिस निरीक्षक (हव० हस्तो सेमा प्रथम एम०ए०पी० और एच०के०सेमा, उप-निरीक्षक सहित) के संयुक्त कमान्ड में एक पुलिस दल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 14वीं बटालियन के एक सैक्शन के साथ 23 फरवरी, 1985 को प्रातः लगभग 4.30 बजे लोटोवी गांव पहुंचा और यू०जी० के घरों को घेर लिया और उनसे कहा कि वे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दें। यू०जी० ने आत्मसमर्पण करने के बजाय चीन-निर्मित हथगोले फैंके और पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप हवलदार हस्तो-सेमा गोली लगने से मर गए और उप-निरीक्षक एच० के० सेमा का पांव और बाजू, गोली लगने से जख्मी हो गये। पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलायीं और एस०एस० ले० कर्नल हहोसी सेमा, एस०एस० सिपाही सेंगलो रेंजमा और एस०एम० प्रा० मेनविंग कोनयाक को मारने में सफल हुए। उनमें से चार गोली लगने से जख्मी होने पर विभिन्न दिशाओं में भागने में सफल हो गए। पुलिस मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मात्रा में चीनी हथियार, गोलाबारूद इत्यादि बरामद किए गए।

इस मठभेड़ में श्री एच० के० सेमा, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री हस्तो सेमा, हवलदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहें हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 91-प्रेज/89—राष्ट्रपति नागालैंड पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री एस० एस० अहलूवालिया,
पुलिस निरीक्षक,
डी० ई० एफ०,
दीमापुर।

श्री नब्बो लोथा,
पुलिस निरीक्षक,
डी० ई० एफ०
दीमापुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना प्राप्त हुई कि एन०एस०सी०एन० के कुछ यू०जी० गड़बड़ी फैलाने के लिए शहर में उपस्थित हैं। यह बताया गया कि यू०जी० जीप संख्या एन०एल०के०—1460 का प्रयोग कर रहें हैं। अतः खोजी दस्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर उस वाहन की खोज कर रहा था लेकिन वाहन का पता नहीं लग सका।

22 फरवरी, 1985 को खोजी दस्ते को पुनः संगठित किया गया और उन्होंने दीमापुर शहर के विभिन्न स्थानों पर गहन खोजबीन की। वाहन, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, का पता प्लाजा के नजदीक पुलिस प्वाईन्ट पर लगा और उन्हें आगे पूछताछ करने के लिए वाहन के साथ पुलिस थाने ले जाया गया। पूछताछ करने पर यह पता लगा कि कुछ यू०जी० तत्व दीमापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर लोटोवी गांव में छिपे हुए हैं।

सर्वश्री नब्बो लोथा और एस०एस० अहलूवालिया पुलिस निरीक्षक (हव० हस्तो सेमा, प्रथम एम०ए०पी० और एच० के० सेमा, उप-निरीक्षक सहित) के संयुक्त कमाण्ड में एक पुलिस दल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल बल की 14वी बटालियन के एक सैक्शन के साथ 23 फरवरी, 1985 को प्रातः लगभग 4.30 बजे लोटोवी गांव पहुंचा और यू०जी० के घरों को घेर लिया और उनसे कहा कि वे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दें। यू० जी० ने आत्मसमर्पण करने के बजाय चीन-निर्मित हथगोले फैंके और पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से गोला-बारी शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप हवलदार हस्तो सेमा गोली लगने से मर गए और उप-निरीक्षक एच० के० सेमा का पांव और बाजू, गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलायीं और एस० एस० लै० कर्नल हहोमी सेमा, एस०एस० सिपाही सेंगलो रेजमा और एस०एम० प्रा० मेनविंग के नायक को मारने में सफल हुए। उनमें से चार गोली लगने से जख्मी होने पर विभिन्न दिशाओं में भागने में सफल हो गए। पुलिस मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मात्रा में चीनी हथियार, गोलाबारूद इत्यादि बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री एस०एस० अहलूवालिया, पुलिस निरीक्षक, और श्री नब्बो लोथा, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 92-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सर्वदीप सिंह विर्क,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
जालन्धर।

श्री नन्द लाल,
कमाण्डेन्ट,
49वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अमृतसर।

श्री रमेश चन्द्र सेठी,
सहायक कमाण्डेन्ट,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
जालन्धर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

9 मई, 1988 को 12.30 बजे अपराह्न केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियंत्रण कक्ष में यह सूचना मिली कि स्वर्ण मन्दिर परिसर के बाहर "प्रसाद प्वाइन्ट" के निकट एक दीवार का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। यह उस किलेबंदी का भाग था जो कि पिछले कुछ सप्ताहों से स्वर्ण मन्दिर परिसर में की जा रही थी। इस अवैध निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि साथ के तीन मंजिले खाली भवन में पहुंचा जा सके, जिससे आतंकवादी परिसर के बाहर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी पर आसानी से आक्रमण कर सकें।

स्वर्ण मन्दिर के निकट तैनात 49वीं बटालियन के कमान्डेन्ट श्री नन्द लाल ने इस बारे में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री सर्वदीप सिंह विर्क को सूचना दी जो अपने स्टाफ अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र सेठी, सहायक कमांडेन्ट और वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक, अमृतसर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। श्री नन्द लाल और अमृतसर (शहर) के पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ शामिल हुए। वहां पहुंचने पर इन अधिकारियों ने देखा कि आपत्तिजनक निर्माण कार्य हो रहा है। जब निर्माण कार्य को रोकने के प्रयास विफल हो गए, तो पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को आंशिक रूप से निर्मित दीवार को गिराने के आदेश दिए गए। जैसे ही दीवार गिराने का कार्य आरम्भ हुआ, पुलिस दल को आड़ में जाने का समय दिए बिना आतंकवादियों ने स्वर्ण मन्दिर परिसर के भीतर से स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलाईं। गोलीबारी के दौरान श्री सर्वदीप सिंह विर्क गम्भीर रूप से घायल हो गए। यद्यपि, श्री विर्क घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत हथियार निकाला और अपने स्थान से आतंकवादियों को व्यस्त रखा, जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस के अधिकारियों और जवानों को भी जवाब में गोली चलाने का मौका मिल गया।

श्री नन्द लाल, कमाण्डेन्ट और श्री रमेश चन्द्र सेठी, सहायक कमाण्डेन्ट ने जो श्री विर्क के समीप ही खड़े थे, अपनी जान की चिंता न करते हुए तुरन्त श्री विर्क को ओट में लिया और अपना स्थान बदल कर अपने हथियारों से आतंकवादियों को बड़ी निपुणता से व्यस्त रखा, जिसके परिणामस्वरूप श्री विर्क को कोई और चोट नहीं लगने दी। इन अधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप श्री विर्क ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जहां आतंकवादियों की गोलियां नहीं पहुंच सकती थीं। गोलियां चल रही थीं, इसलिए श्री विर्क को अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ गोलीबारी के बीच बच-बच कर तथा भागते हुए निकलना पड़ा। आतंकवादियों के स्वचालित हथियारों से भारी गोली-बारी का सामना करते हुए सर्व श्री नन्द लाल और आर०सी० सेठी तथा अन्य अधिकारियों ने भी बचाव में गोलियां चलाईं। भारी गोली-बारी के कारण सड़कों पर कोई वाहन अथवा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किसी व्यक्ति से स्कूटर की व्यवस्था की और श्री विर्क को चिकित्सा सहायता के लिए एस०जी०टी० बी० हस्पताल ले गए।

जब श्री विर्क को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया तो सब श्री नन्द लाल, आर०सी० सेठी तथा अन्य अधिकारियों ने स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर मोर्चा बांधा और विभिन्न युक्तियों को अपनाते हुए निडर होकर अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह काबू में रखा, जिससे गलियों और दुकानों में फंसे हुए सैकड़ों नागरिकों को गोलीबारी वाले स्थान से सुरक्षित आगे निकालने में मदद मिली।

श्री सर्वदीप सिंह विर्क, पुलिस उप-महानिरीक्षक, श्री नन्द लाल, कमांडेंट तथा श्री रमेश चन्द्र सेठी, सहायक कमांडेन्ट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 मई, 1988 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1989

संकल्प

सं० ए० सी०/पैनल/89—भारत सरकार ने एस्बेस्टोस उत्पाद उद्योग की विकास सामिका, जिसका पुनर्गठन दिनांक 23-12-87 के संकल्प संख्या ए०सी० /पैनल/87—के अनुसार किया गया था, की अवधि 17 सितम्बर, 1989 से दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है जिसकी संरचना निम्न प्रकार है :—

1. श्री एन० विश्वनाथ उप-महानिदेशक तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. श्री आर० खेमका, अध्यक्ष, मै० हैदराबाद इन्डस्ट्रीज लि०, सनतनगर, हैदराबाद-500018	सदस्य
3. श्री अमर सिंह, प्रबन्ध निदेशक, मै० हिन्दुस्तान फैडरोडो लि०, घाटकोपर, बम्बई-400086	,,
4. श्री एस० गनपती, महाप्रबन्धक, मै० रामको इन्डस्ट्रीज लि०, चोडिया मैन्शन, 739, अन्ना सलाय, मद्रास।	,,
5. श्री श्रीनिवास आईयर, प्रबन्ध निदेशक मै० एवेरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्टस लि०, अशोक भवन, छठी एवं सातवीं मंजिल 93 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	,,
6. श्री बी० एस० ठक्कर, अध्यक्ष, मै० श्री दिगविजय सीमेंन्ट प्रा० लि०, पी० ओ० दिगविजय, अहमदाबाद-382470।	,,
7. श्री जे० एन० तलवार, प्रबन्ध निदेशक मै० रीज तालक्राम प्रा० लि० 19 लोनी इन्डस्ट्रियल एरिया, मोहननगर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	,,
8. श्री एस० आर० गुप्ता, महा प्रबन्धक, एम० एस० टी० सी० एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	,,
9. इंडियन ब्यूरो आफ माईन्स का एक प्रतिनिधि न्यू सचिवालय बिल्डिंग नागपुर	,,
10. विकास आयुक्त लघु उद्योग) का एक प्रतिनिधि, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	,,
11. श्री जे० सेनगुप्ता, संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय भवन संगठन, शहरी विकास मन्त्रालय "बी" विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली	,,
12. श्री आर० एम० जोशीदार, निदेशक उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली	,,
13. श्री अभिलाष तायल, प्रबन्ध निदेशक, मै० यू० पी० एस्बोस्टोस लि० अहमदाबाद एस्टेट, बिल्डिंग हजारीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	,,

14. श्री एच०एन० गुप्ता, डी०जी०एफ०ए०एस०एल०आई० — सदस्य
केन्द्रीय श्रम संस्थान बिल्डिंग
एन० एस० मानीकर मार्ग, सायन, बम्बई

15. डा० एस० के० दवे, सहायक निदेशक — ,,
नेशनल इंस्टीटयूट आफ आक्यूपेशनल हैल्थ
मेघानी नगर, अहमदाबाद

16. इन्डस्ट्रीयल टाक्सीकलाजी रिसर्च सेन्टर — ,,
महात्मा गांधी मार्ग,
पो० बी० सं० 80, लखनऊ

17. श्री के०एस० कृष्णास्वामी, कार्यकारी निदेशक — ,,
मै० थाने बैक लाइनिंग्स लि०,
प्लाट नं०: 30, इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
अम्बातूर, मद्रास—600058

18. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि — ,,
टेक्नालाजी भवन, न्यू मेहरोली रोड,
नई दिल्ली।

19. श्री के० बी० रामशेषण, प्रबन्ध निदेशक, — ,,
मै० विसाका एस्बेस्टास सीमेन्ट प्रोडक्टस लि०,
6—3—1989/सी, गुलमोहर सोमोजागीदो
हैदराबाद—500482

20. श्री पी० एल० पटेल, निदेशक — ,,
मै० स्वास्तिक इन्डस्ट्रियल स्वास्तिक हाऊस,
39/पी/जवाहरलाल मार्ग, अप्सरा सिनेमा के सामने
पूना—411037

21. मै० ऐस्बेस्टोज सीमेंट उत्पाद मैन्युफेक्चरस एसोसियेशन — ,,
के प्रतिनिधि, द्वारा एस्बेस्टोज सूचना केन्द्र,
401, पदमा पैलेस 87, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली—110019।

22. कार्यपालक निदेशक — ,,
एस्बेस्टोज सूचना केन्द्र,
401, पदमा पैलेस—86 नेहरू प्लेस
नई दिल्ली—110019।

23. श्री पी० के० जैन, विकास अधिकारी, — सदस्य सचिव
ल० वि० म० नि० उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. ऐसबेस्टास सीमेंट उत्पाद और गैर सीमेंट ऐस्बेस्टस उत्पाद उद्योग की वर्तमान विकास स्थिति की समीक्षा करना, इसके त्वरित विकास के लिए उपाय सुझाना।

2. उद्योग में प्रयुक्त प्रोद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना और प्रोद्योगिकी एवं किस्म उत्थान सहित भावी अनुसन्धान एवं विकास गतिविधियों की मांग का पता लगाना।

3. ऐस्बेस्टास उद्योग में स्वास्थ्य संकट निवारण पर उपलब्ध मानकीकरण का अध्ययन करना और भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से मानकीकरण हेतु विशेष कार्यक्रम बनाना।

4. उपभोग के वर्तमान मानदण्डों का मूल्यांकन करना और सामग्री संरक्षण, पुन: प्रयोग एवं ऊर्जा संरक्षण के जरिए छीजन कम करने के उपाय सुझाना।

5. विभिन्न ऐस्बेस्टस उत्पादों की राज्यवार/क्षेत्रवार मांग के बारे में अध्ययन करना तथा अधिक क्षमता के लिए सुझाव देना।

6. ऐस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद और गैर सीमेंट ऐस्बेस्टस उद्योग में प्रतिस्थापना की संभावनाओं के बारे में विचार करना और निरन्तर आर० एण्ड डी० प्रयासों से समान तकनीक या अन्य सदृश उत्पादों की आर्थिक रूप से जीव्यता और कम संकटमय तरीकों का विकास करना।

7. इस उद्योग के लिए निर्यात की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना निर्यात संवर्धन के लिए अपेक्षित समुचित कदम और अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिसमें प्रोत्साहन की वर्तमान नीति अग्रिम लाइसेंस के लिए शुल्क बोध, नकद प्रतिपूर्ति सहायता, कच्चे मालों आदि का मूल्यांकन करना शामिल है।

8. खानों और फैक्टरियों में संकट पर नियंत्रण रखने के लिए मानीटर निगरानी एवं कन्ट्रोल उपस्करों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के मांग के अनुरूप आर्थिक जीवंतता संबंधित उपायों के बारे में सुझाव देना।

9. ए० सी० उत्पादन हेतु विशेष किस्म का सीमेंट और अन्य सामग्रियों का शक्ति एवं अन्य प्रचालन आवश्यकताओं के अनुसार विकास करना।

10. उद्योगों के आधुनिकीकरण के उपायों पर विचार करना।

11. कोई अन्य उपयुक्त विषय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को संचारित की जाए।

मदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1989

सं० ए—12018/3/86—कारखाना/आई० एस० एच०—I—राष्ट्रपति, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, बम्बई में निम्नलिखित पदों को तत्काल प्रभाव से दोबारा पदनामित करते हैं :—

मौजूदा पदनाम वेतनमान सहित	संशोधित पदनाम वेतनमान सहित
1. उप निदेशक इंजीनियर) (3000—4500 रुपए, समूह "क") 2. उप निदेशक (डाक सुरक्षा) (3000—4500 रुपए समूह "क")	(उप निदेशक सुरक्षा) (रुपए 3000—4500, समूह "क")
3. सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (2200—4000 रुपए, समूह "क") 4. सहायक निदेशक (डाक सुरक्षा) (रुपए 2200—4000, समूह "क") 5. सहायक निदेशक (वास्तुशिल्प) (रुपए 2200—4000, समूह "क") 6. सहायक निदेशक (टैक्सटाइल), (रुपए 2200—4000, समूह "क")	सहायक निदेशक (सुरक्षा) (रुपए 2200—4000, समूह "क")
7. अतिरिक्त सहायक निदेशक (डाक सुरक्षा) (रुपए 2000-3500, समूह "ख") 8. अतिरिक्त अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरी), (रुपए 2000—3500, समूह "ख")	अतिरिक्त सहायक निदेशक सुरक्षा) (रुपए 2000—3500, समूह "ख")

आर० टी० पाण्डेय, उप सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 25th November 1989

No. 83-Pres./89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Jammu & Kashmir Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Abdul Rashid,
Constable No. 2445/S,
(now Sub-Inspector),
District Srinagar.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the intervening night of 17th/18th September, 1988, while Shri Abdul Rashid, Constable was performing guard duty at the residence of Deputy Inspector General of Police, Kashmir, Shri A. M. Watali, an intruder approached him after sneaking through the gate and asked him whether Shri Watali was in the house or not as he wanted to meet him. Constable Abdul Rashid told the intruder that it was not the time to see the Deputy Inspector General. Hearing this, the intruder immediately took out a gun from underneath his 'Chadhar' and pointed it at the Constable ordering him to 'Hands Up'. Constable Abdul Rashid while apparently obeying the order of the intruder displayed presence of mind of highest degree and caught hold of the muzzle of the gun and lowered it towards the ground while grappling with him. Meanwhile, another intruder who was covering the first intruder at some height fired at the Constable, who got a bullet in his thigh and fell down. Inspite of this, he did not loose his grip on the intruder and his gunn and tried to turn the muzzle of the same gun towards the intruder and fired hitting the right wrist of the intruder. Meanwhile, the accomplice covering this intruder was intermittently firing as a result of which the first intruder got several shots on his right arm and one shot hit his back as a result of which he fell down seriously injured.

The sound of the gun fire and the shouts of Constable Abdul Rashid attracted other members of the guard and orderlies who were inside the guard-room. They came out and challenged the intruders who beat their retreat and vanished into darkness, firing while runnig away. The injured intruder and Constable Rashid were immediately rushed to hospital where the injured intruder was identified as Aiaz Ahmed Dar, a notorious activist of Muslim United Front with a Police record. The injured intruder died in the hospital later on.

In this encounter Shri Abdul Rashid, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th September, 1988.

No. 84-Pres./89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri R. P. Gautam,
Assistant Commandant,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 23rd October, 1987, at about 1430 hours, information was received that a dreaded terrorist Balkar Singh along with his associates, had gathered in a farm house in village Kolowal under Police Station Lopoke and were planning to strike in a big way in one of the local minority pockets. Shri R. P. Gautam, Assistant Commandant, 24 Battalion, Central Reserve Police Force alongwith other CRPF personnel in two jeeps rushed to conduct raid on the hide-out and nab the terrorists. On the way Shri Gautam on wireless, alerted Police Station Lopoke and CRPF posts at Chowgawan for more police personnel with a view to seal all possible escape routes.

Head Constable Inder Raj Singh, 24 Battalion, CRPF of Chowgawan post, was directed to take his section via Khyala village and lay a cordon at the back of the farm house of terrorist Major Singh in Lolowal village. By about 1600 hours the farm house was completely cordoned at the back and confirmation to this effect was passed on to Shri R. P. Gautam who had approached with the party and was awaiting signal.

As the raiding group headed by Shri Gautam closed-in, hectic activities in the farm house were noticed. The raiding party rushed towards the house but they found that the terrorists had espaced into the standing crops. Shri Gautam alerted the cordon party to form an extended line of their men and ordered them to advance through the standing crops. As the raiding party closed-in, the terrorists opened fire from three different directions. The Police party immediately took positions and returned the fire. On being fired upon, two of the three terrorists abandoned their positions and withdrew from their positions but the third terrorist kept on firing. Shri Gautam with a view to outflank him, crawled to his right through the paddy crops amid heavy firing and approached a water pump house. In the meantime Shri Inder Raj Singh, Head Constable saw the Assistant Commandant trying to get closer to the terrorist. The other two terrorists noticed his move and opened heavy firing on him. In order to extricate Shri Gautam from this precarious position, who was badly pinned down, Head Constable Inder Raj Singh in complete disregard to his personal safety, took position behind a tree and kept on engaging both the terrorists and forced them to retreat. Shri Gautam waited for the terrorist to exhaust rounds filled in his pistol magazine. As the terrorist pulled out his magazine to re-fill it, Shri Gautam made a lightening dash towards the terrorist and pounced upon him. His intention was to capture the terrorist alive. The extremist was completely taken aback. This followed a fierce grappling with a much young and desperate killer. During the scuffle, Shri Gautam gave the terrorist a scathing blow with his knee into his groin and sent him reeling on the ground. Before the terrorist could be dis-armed, he suddenly regained his balance and made a desparate attempt to over-power Shri Gautam and snatch his weapon, but with quicker reflexes Shri Gautam fired a burst from his sten-carbine and killed the terrorist on the spot. However, the other two terrorists managed to escape through the paddy fields.

In this encounter Shri R. P. Gautam, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd October, 1987.

No. 85-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Inder Raj Singh,
Head Constable No. 600100154,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 23rd October, 1987 at about 1430 hours, an information was received that a dreaded terrorist Balkar Singh along with his associated had gathered in a farm house in village Kolowal under Police Station Lopoke and were planning to strike in a big way in one of the local minority pockets. Shri R. P. Gautam, Assistant Commandant, 24 Battalion, Central Reserve Police Force, along with other Central Reserve Police Force personnel in two jeeps rushed to conduct raid on the hide-out and nab the terrorists. On the way Shri Gautam, on wireless, alerted Police Station Lopoke and Central Reserve Police Force posts at Chowgawan for more police personnel, with a view to seal all possible escape routes.

Head Constable Inder Raj Singh, 24 Battalion, Central Reserve Police Force of Chowgawan post, was directed to take his section via Khyala village and lay a cordon at the back of the farm house of terrorist Major Singh in Kolowal village. By about 1600 hours the farm house was completely

cordoned at the back and confirmation to this effect was passed on to Shri R. P. Gautam who had approached with the party and was awaiting signal.

As the raiding group headed by Shri Gautam closed-in, hectic activities in the farm house were noticed. The raiding party rushed towards the house but they found that the terrorists had escaped into the standing crops. Shri Gautam alerted the cordon party to form an extended line of their men and ordered them to advance through the standing crops. As the raiding party closed in, the terrorists opened fire from three different directions. The Police party immediately took positions and returned the fire. On being fired upon two of the three terrorists abandoned their positions and withdrew from their positions but the third terrorist kept on firing. Shri Gautam with a view to outflank him, crawled to his right through the paddy crops amid heavy firing and approached a water pump house. In the meantime Shri Inder Raj Singh, Head Constable saw the Assistant Commandant trying to get closer to the terrorist. The other two terrorists noticed his move and opened heavy firing on him. In order to extricate Shri Gautam from this precarious position who was badly pinned down, Head Constable Inder Raj Singh, in complete disregard to his personnal safety, took position behind a tree and kept on engaging both the terrorists and forced them to retreat. In doing so, he not only saved the life of Shri Gautam, but also enabled him to get closer and kill the dreaded terrorist. However, the other two terrorists managed to escape through the paddy fields.

In this encounter Shri Inder Raj Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is mad for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd October, 1987.

No. 86-Pres./89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri A. G. Pathar, (*Posthumous*)
Head Constable No. 680291233,
44 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri K. Hazarika,
Constable No. 821152128,
44 Battalion,
Central Reserve Police Force.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 8th June, 1988, at about 11.25 P.M., a section of 44 Battalion, Central Reserve Police Force, posted at village Thandey, was heavily attacked by terrorists from three directions. The terrorists numbering about 6/9 fired rockets from a concealed position a top the roof of a house about 150 yards away from the post. One of the rockets pierced through the ventilator of the room and exploded after hitting the inside of the front side wall injuring all the inmates of the rooms. Firing of rockets was followed by automatic arms fire. Shri A. G. Pathar, Head Constable was seriously injured by the splinters of the rocket but without caring for the injuries and personal safety, he sprung into action and ordered his men to return the fire. He also informed his Company Headquarter for re-inforcement and himself took position and fired at the terrorists. In defending his post, he was fatally wounded and succumbed to his injuries.

Constable K. Hazarika, who was on sentry duty, effectively engaged the terrorists with his fire but sustained serious head injury by a flying splinters of the rocket. This did not, however, deter him from his task and he continued firing on the terrorists. His sustained and effective fire pinned down the terrorists forcing them ultimately to flee. The terrorists had planned the attack very carefully with the twin motive of annihilating the Central Reserve Police Force section and seizing their weapons and secondly of killing the family of Sukhdev Singh, who were under protection of the Central Reserve Police Force section. Constable Hazarika, who had been seriously injured, fell unconscious near his post. He was rushed to SGTB Hospital, Amritsar by the re-inforcement party. Later he was taken by special plane to PGI Chandigarh where he was operated upon and 4 splinters were removed from his brain.

In this encounter Shri A. G. Pathar, Head Constable and Shri K. Hazarika, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th June, 1988.

No. 87-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Haryana Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Ram Kumar,
Deputy Superintendent of Police,
Anti-Extremist Cell, CID,
District Hissar.

Shri Raj Pal Singh,
Inspector of Police,
(now Deputy Superintendent of Police),
C.I.A.,
District Hissar.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 9th November, 1987, information was received that a group of terrorists armed with sophisticated automatic weapons were hiding in Bejigran Basti, Moga, District Faridkot, Punjab. Shri Ram Kumar, Deputy Superintendent of Police, and Shri Raj Pal Singh, Inspector of Police (now Deputy Superintendent of Police), alongwith 52 police officers/men reached Moga on 10th November, 1987 to raid the hide-out. On reaching Moga, they got the information that the terrorists may leave the hide-out at about 4 A.M. next morning for some other place. Shri Ram Kumar and Shri Raj Pal Singh decided to raid the hide-out at mid-night so as not to allow the terrorists to escape. However, the local police of Moga warned the raiding party and apprised them of the imminent danger of life in carrying out raids during dark hours as it was a highly terrorist-infested area. The police party led by Shri Ram Kumar scaled over 14 feet high wall and took positions in the courtyard, whereas other party led by Inspector Raj Pal Singh forced open the main gate of the hide-out. Both the parties started mopping-up towards the terrorists and finally caught hold of one of the terrorists viz. Harsaran Singh of Tarn Taran, District Amritsar. On interrogation, the terrorist disclosed that his two associates had managed to escape in a stolen jeep. Both the officers started chasing the terrorists without any loss of time.

Finally Shri Ram Kumar and Shri Raj Pal Singh came face to face with dreaded terrorists after three hours of hot pursuit. Both the officers jumped out of their vehicles and grappled with the terrorists and captured them. The terrorists were later identified as Bahadur Singh and Rajinder Singh both of Tarn Taran. On interrogation, they revealed that they were not only involved in Daryapur massacre of 36 bus passangers but were also involved in a number of murder and dacoity cases.

In this encounter, Shri Ram Kumar, Deputy Superintendent of Police, and Shri Raj Pal Singh, Inspector of Police (now Deputy Superintendent of Police), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th November, 1987.

No. 88-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri Kishan Chand,
Assistant Commandant,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Ajnala.

Shri Shambhu Prasad,
Constable No. 851290217,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Ajnala.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 29th June, 1988, at about 1345 hours, information was received that extremist Sukhvinder Singh alongwith his associate, well armed, was seen moving in village Dayal Bharang. Shri Kishan Chand, Assistant Commandant, 24 Battalion, Central Reserve Police Force, immediately chalked out a plan to cordon the village and went for checking the suspected hide-outs. When the police party reached near the pulses crop fields, it came under heavy fire from the terrorists. They immediately took cover in the crop, which saved casualties. This followed heavy exchange of fire for about five minutes, and thereafter the terrorists started retreating. To foil their attempt to escape, Shri Kishan Chand alongwith Constable Shambhu Prasad left their position and rushed forward un-noticed to out-flank them. They by-passed the retreating terrorists in the crop field, took position behind a natural cover and waited for the terrorists to come. As they were lying in wait, they saw two armed terrorists emerging out of pulses crops. Before Shri Kishan Chand could challenge them to surrender, the terrorists opened fire on them with automatic weapons. Shri Kishan Chand and Shri Shambhu Prasad ducked for cover and saved themselves. Before the terrorists could fire again, with quick reflection, Shri Kishan Chand and Constable Shambhu Prasad simultaneously fired from their weapons and killed both the terrorists on the spot. The dead terrorists were later identified as Sukhvinder Singh and Harjeet Singh, who were wanted by the police in a number of heinous crimes.

In this encounter, Shri Kishan Chand, Assistant Commandant, and Shri Shambhu Prasad, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them and special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th June, 1988.

No. 89-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Resere Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri K. D. Yadav,
Sub-Inspector of Police,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Laxman Singh,
Constable No. 740240365,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 2nd October, 1987, at about 1700 hours, Assistant Commandant (Ops) alongwith Deputy Superintendent of Police, Ajnala, were going to supervise Ramlila security arrangements at Rajasansi. There was an information that the terrorists were planning to strike in a big way on Ramlila procession. On the way they were informed by two persons that three policemen, riding on autorikshaw, have been shot dead by the terrorists in paddy fields near village Tulanangal. Both the officers rushed to the spot and after enquiries they came to know that the assailants had gone towards village Kohali along the canal. They alerted all the posts to block approach roads leading from village Tulanangal towards villages Kohali and Khyala.

Shri K. D. Yadav, Sub-Inspector, 24 Battalion, Central Reserve Police Force of Chainpura post alongwith Constable Laxman Singh and four other personnel headed towards Kohali for laying a naka. Enroute he was informed by a villager that five armed terrorists had been seen going along Lahore canal towards Kohali. Instead of chasing the terrorists Shri Yadav decided to lay a naka 500 Metres from Lahore canal bridge and waited for the terrorists to come.

At about 1800 hours five persons were seen approaching along Lahore Canal, across Kohali village. Shri Yadav immediately ordered his men to take positions and simultaneously challenged them to stop and surrender. On this, the terrorists at once brought out their weapons hidden under shawls and opened fire on the police party. This followed heavy exchange of fire, which lasted for about half an hour. One of the terrorists, moved to the left and through heavy firing from AK-47 Chinese assault rifle, was not allowing the police party to close-in. In order to remove the stiff resistance put up by this terrorist, Shri Yadav ordered Constable Laxman Singh to move to his left and engage the terrorists to divert his attention so that he could close-in, to secure fatal hit. As Constable Laxman Singh dashed to his left, he came under heavy fire by the terrorist. Undeterred and in complete disregard to his personal safety, he continued crawling till he reached at an advantageous place from where he could effectively engage the terrorist. Firing from a new position diverted the attention of the terrorist. Shri Yadav without caring for his personal safety crawled through standing crops. When he was sure that he could secure a hit on the terrorist, he fired four shots in quick succession from his pistol and killed the terrorist on the spot. The dead terrorist was later identified as Sukhdev Singh alias Sukha Pandit of Chamiari village, who was responsible for murder of a number of innocent people. However, the remaining four terrorists managed to escape through standing crops and under cover of elephant grass.

In this encounter, Shri K. D. Yadav, Sub-Inspector of Police, and Shri Laxman Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from 2nd October, 1987.

No. 90-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Nagaland Police :—

Names and rank of the Officers

Shri H. K. Sema,
Sub-Inspector of Police,
DEF, Dimapur.

Shri Hesto Sema, (*Posthumous*)
Havildar, 1st Bn.,
NAP, Chumukedima.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

An information was recevied that some UGs of NSCN were present in the town to create disturbance. The UGs were reported to be using a Jeep No. NLK-1460 and the search party was on the look out for that vehicle in different places in the town but it could not be located.

The search party was again reorganised on 22nd February, 1985 and they carried out intensive search at different places of Dimapur town. The vehicle with 4 occupants was located at Police point near Plaza and they were taken to Police Station with the vehicle for further interrogation. On interrogation it was ascertained that some UG elements were hiding in village Lotovi—about 10 Kms. from Dimapur.

A police party under the Joint Command of Shri Nkhao Lotha and Shri S. S. Ahluwalia, Inspectors of Police, (including Havildar Hesto Sema, 1st NAP and Sub-Inspector H. K. Sema (accompanied by a section of 14 Bn.. Central Reserve Police Force reached village Lotovi aoand 4.30 a.m. on 23rd February, 1985 and surrounded the houses of UGs and asked them to surrender alongwith their weapons. The UGs instead of surrendering threw Chinese made hand-grenades and started firing with automatic weapons on the Police Party. As a result of firing Havildar Hesto Sema was shot dead and Sub-Inspector H. K. Sema sustained bullet injuries

on his leg and arm. The Police Party also returned the fire in self defence and succeeded in killing S. S. Lt. Col. Ihoshe Sema, SS Sepoy Senglo Rengma and SS Pvt. Manving Konyak. Four of them managed to escape in different directions with bullet injuries. Large number of Chinese Arms, ammunition etc. were recovered from the place of encounter.

In this incident Shri H. K. Sema, Sub-Inspector of Police and Shri Hesto Sema, Havildar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23rd February, 1985.

No. 91-Pres/89.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Nagaland Police:—

Names and rank of the officers

Shri S. S. Ahluwalia,
Inspector of Police,
DEF, Dimapur.

Shri Nkhao Lotha,
Inspector of Police,
DEF, Dimapur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

An information was received that some UGs of NSCN were present in the town to create disturbance. The UGs were reported to be using a Jeep No. NLK-1460 and the search party was on the look out for that vehicle in different places in the town but it could not be located.

The search party was again reorganised on 22nd February, 1985 and they carried out intensive search at different places of Dimapur town. The vehicle with 4 occupants was located at Police Point near Plaza and they were taken to Police Station with the vehicle for further interrogation. On interrogation it was ascertained that some UG elements were hiding in village Lotovi—about 10 Kms away from Dimapur.

A police party under the Joint Command of Shri Nkhao Lotha and Shri S.S. Ahluwalia, Inspectors of Police, (including Havildar Hesto Hema, 1st NAP and Sub-Inspector H. K. Sema) accompanied by a section of 14Bn., Central Reserve Police Force reached village Lotovi around 4.30 a.m. on 23rd February, 1985 and surrounded the houses of UGs and asked them to surrender along with their weapons. The UGs instead of surrendering threw Chinese made handgrenades and started firing with automatic weapons on the Police Party.

As a result of firing Havildar Hesto Seme was shot dead and Sub-Inspector. H.K. Sema sustained bullet injuries on his leg and arm. The Police Party also returned the fire in self defence and succeeded in killing S.S. Lt. Col. Ihoshe Sema, S. S. Sepoy Senglo Rengma and SS Pvt. Manving Konyak. Four of them managed to escape in different directions with bullet injuries. Large number of Chinese Arms, ammunition etc., were recovered from the place of encounter on that day.

In this incident, Shri S. S. Ahluwalia, Inspector of Police, Shri Nkhao Lotha, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23rd February, 1985.

No. 92-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names Reserve Police Force :—

Shri Sarbdeep Singh Virk,
Deputy Inspector General of Police,
Central Reserve Police Force,
Jalandhar.

Shri Nand Lal,
Commandant,
49 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Amritsar.

Shri Ramesh Chander Sethi,
Assistant Commandant,
Central Reserve Police Force,
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 9th May, 1988, at about 12.30 P.M. Central Reserve Police Force Control Room received information regarding illegal construction of a wall near Prasad point outside the Golden Temple Complex. This was part of fortification which had been going on in the Golden Temple Complex for the last couple of weeks. The illegal construction was aimed at acquiring access to an abandoned three-storied building which would have given the terrorists considerable tactical advantage over the Central Reserve Police Force pickets outside the Complex.

Shri Nand Lal, Commandant of 49 Battalion deployed around Golden Temple, informed Shri Sarbdeep Singh Virk, Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force, of this development, who rushed to the spot, accompanied by his Staff Officer Shri Ramesh Chander Sethi, Assistant Commandant and senior Superintendent of Police, Amritsar. Shri Nand Lal and Superintendent of Police (City), Amritsar, also joined them. On reaching the spot, these officers found the objectionable construction in progress. When efforts to suspend the construction failed, the Police and Central Reserve Police Force jawans were ordered to demolish the partially constructed wall and to stop further construction. As the demolition work started, the terrorists from inside the Golden Temple Complex opened fire with automatic weapons without giving any time to the Police party to take cover. Shri Sarbdeep Singh Virk, was seriously injured in the firing. Though injured, Shri Virk took out his personal weapon and engaged the terrorists from his position leading the central Reserve Police Force and Punjab Police Officers and men in the exchange of fire.

Shri Nand Lal, Commandant, and Shri Ramesh Chander Sethi, Assistant Commandant, who were standing close to Shri Virk immediately covered Shri Virk and engaged the terrorists with their weapons tactically changing their positions, thereby not permitting geany more injury to Shri Virk, but unmindful of danger to their own lives. Efforts of these officers enabled Shri Virk to move to a safer distance from the range of terrorists firing. As the firing was going on, Shri Virk accompanied by Senior Superintendent of Police, Amritsar had to run through bullets, taking position intermittently. Shri Nand Lal and Shri Ramesh Chander Sethi and other officers provided the covering fire, themselves facing heavy automatic fire of terrorists. The Senior Superintendent of Police, Amritsar, managed to get somebody's scooter as no vehicle or people were available on the streets due to heavy firing and drove Shri Virk to SGTB Hospital for medical aid.

When Shri Virk was evacuated, Shri Nand Lal, Shri Ramesh Chander Sethi and other officers moved into different areas around the Golden Temple Complex, and by changing tactics, kept the terrorists totally pinned down and helped hundreds of civiliens, stranded in lanes and shops to reach safely, away from the range of firing, risking their own life, but without fear.

In this encounter, Shri Sarbdeep Singh Virk, Deputy Inspector General of Police, Shri Nand Lal, Commandant, and Shri Ramesh Chander Sethi, Assistant Commandant,

displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th May, 1988.

S. NILAKANTAN, Director

DIRECTORATE GENERAL OR TECNNICAL DEVELOMENT

New Delhi, the 8th November 1989

RESOLUTION

No. AC/Panel/89.—The Government of India have decided to extend the tenure of the Development Panel on Asbestos Products Industry as reconstituted *vide* Resolution No. AC/Panel/87, dated 23-12-87, for a further period of two years with effect from 17th September, 1989, with the following composition :—

Cairman

1. Shri N. Biswas,
Deputy Director General,
D.G.T.D., Udyog Bhavan,
New Delhi.

Members

2. Shri R. Khemka, President,
M/s Hyderabad Industries Limited,
Sanatnagar, Hyderabad-500 018.

3. Shri Amar Singh, Managing Director,
M/s Hindustan Ferodo Limited,
Ghatkopar, Bombay-400 086.

4. Shri S. Ganapathy, General Manager,
M/s Ramco Industries Limited,
Chordia Mansion, 739, Anna Salai,
Madras.

5. Shri Srinivasan Iyer, Managing Director,
M/s Everest Building Products Limited,
Ashok Bhavan, 6th & 7th floors,
93, Nehru Place, New Delhi-110 019.

6. Shri B. S. Thakkar, President,
M/s Shree Digvijay Cement Co. Limited,
P. O. Digvijaynagar, Ahmedabad-382 470.

7. Shri J. N. Talwar, Managing Director,
M/s Reinz Talbros (P) Limited,
19, Loni Industrial Area, Mohan Nagar,
Ghaziabad (U.P.).

8. Shri S. R. Gupta, General Manager,
M.M.T.C., Express Building,
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

9. Representative of Indian Bureau
of Mines, New Secretariat Building,
Nagpur.

10. Representative of office of Development
Commissioner (Small Scale Industries),
Nirman Bhavan, New Delhi.

11. Shri J. Sengupta, Joint Director,
National Building Organisation,
Ministry of Urban Development, 'C' Wing,
Nirman Bhavan, New Delhi.

12. Shri R. N. Bohidar, Director,
Ministry of Industry, Deptt. of Industrial
Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

13. Shri Amitabh Tayal, Managing Director,
M/s. U.P. Asbestos Limited, Mehmoodabad Estate
Building, Hazratganj, Lucknow (U.P.)

14. Shri H. N. Gupta, DGFASLI,
Central Labour Institute Building,
N. S. Mankikar Marg, Sion, Bombay.

15. Dr. S. K. Dave, Assistant Director,
National Institute of Occupational Health,
Meghani Nagar, Ahmedabad.

16. Representative of Industrial Toxicology Research
Centre, Mahatma Gandhi Marg, P. B. No. 80,
Lucknow.

17. Shri K. S. Krishnaswamy, Executive Director,
M/s Rane Brake Linings Limited,
Plot No. 30, Industrial Estate Ambattur,
Madras-600 058.

18. Representative of Department of Science &
Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli
Road, New Delhi.

19. Shri K. V. Ramasheshan, Managing Director,
M/s Visaka Asbestos Cement Products Ltd.,
6-3-1089/C, Gulmohar Somojagida, Hyderabad-
500 482.

20. Shri P. L. Patel, Director,
M/s Swastik Industries, Swastik House,
39/P/Jawaharlal Marg, Opp. Apsara Cinema,
Pune-411 037.

21. Representative of M/s Asbestos Cement
Products Manufacturers' Association,
C/o Asbestos Information Centre,
401, Padma Palace, 86, Nehru Place,
New Delhi-110 019.

22. Executive Director,
Asbestos Information Centre,
401, Padma Palace, 86, Nehru Place,
New Delhi-110 019.

Member-secretary

23. Shri P. K. Jain, Development Officer,
D.G.T.D., Udyog Bhavan,
New Delhi.

The terms of reference of the Panel would be as under:—

(1) To review the present stage of development of asbestos cement products and non-cement asbestos products industry and to suggest measures for its accelerated growth.

(2) Evaluation of present level of technology in the industry and to identify the need for further R&D activity for future technological needs including technology and quality upgradation.

(3) To study the extent to which standardization has been arrived to control health hazards in asbestos

industry and to evolve special programme for further standardization in consultation with ISI.

(4) To evaluate the present norm of consumption and to suggest measures for reducing wastage, viz., material conservation, recycling and energy conservation.

(5) To study statewise/regionwise requirements for various asbestos products and suggestion for creation of further capacity.

(6) To consider possibility of substitution in asbestos cement products and non-cement asbestos industry and development of alternate cheaper products of equivalent technical properties, economically viable and loss hazardous by continuous R&D efforts.

(7) To evalute the present state of export for this industry and suitable steps and follow up action needed for promotion of export including current policies on incentives, duty drawback advance licences, cash compensatory support, pricing of raw materials etc.

(8) To study the present stage of monitoring surveillance and control equipments to control hazard in mines and factories and to suggest measures so as to be economical viable for meeting the International Standards.

(9) Development of special cements and bonding materials for A.C. products having regard to strength and other operative requirements.

(10) To consider measures for modernisation of the industry.

(11) Any other points deemed fit.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Administration)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, 10th Novermber 1989

No. A-12018/3/86-Fac/ISH. I:—The President hereby redesignates the following posts in the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay, mentioned below with immediate effect:—

Existing designation with scale of Pay	Revised designation with scale of Pay
1. Deputy Director (Engineering) (Rs. 3000—4500; Group 'A," 2. Deputy Director (Dock Safety) (Rs. 3000—4500); Group 'A')	Deputy Director (Safety) (Rs. 3000—4500; Group 'A')
3. Assistant Director (Engineering), (Rs. 2200—4000; Group 'A') 4. Assistant Director (Dock Safety), (Rs. 2200—4000; Group 'A') 5. Assistant Director (Architect), (Rs. 2200— 4000; Group 'A') 6. Assistant Director (Textiles), (Rs. 2200—4000; Group 'A')	Assistant Director (Safety) (Rs. 2200—4000; Group 'A')
7. Additional Assistant Director (Dock Safety), (Rs. 2000—3500; Group 'B') 8. Additional Research Officer, (Entgineering), (Rs. 2000—3500, Group 'B')	Additional Assistant Director (Safety), (Rs. 2000—3500, roup 'B')

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989